ऑन लाईन नं.RCMS2022/83

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 09 / 2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री लखरी चन्द्र जाति यादव निवासी 152 सादु कॉलोनी , 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर।
   मै0 बालाजी स्वीट्स, एण्ड नमकीन कॉर्नर, 152 सादु कॉलोनी, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 18.11.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.08.2021 को 9.00 ए.एम पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री लखरी चन्द्र जाति यादव निवासी 152 सादु कॉलोनी , 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर, **मै0** बालाजी स्वीट्स, एण्ड नमकीन कॉर्नर, 152 सादु कॉलोनी, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वाहन फिलींग टैंक विक्रय हेतु रखा हुआ था, मालिक श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री लखरी चन्द्र जाति यादव निवासी 152 सादु कॉलोनी , 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर, **मै0** बालाजी स्वीट्स, एण्ड नमकीन कॉर्नर, 152 सादु कॉलोनी, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ लगभग 80 किलो **खोया (दुध से निर्मित)** खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। खद्य पदार्थ नमूनें वास्ते 1 किलो **खोया (दुध से निर्मित)** लिया। जिसको हिला मिलाकर एकरूप करके चार बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा भरकर परिरक्षक बतौर , फोरमलिन की 20–20 बूँदे प्रत्येक बोतल में डालकर ऐयरटाईट ढक्कन से बंद करके प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1183** दर्ज किया। शुद्वता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5–ए की प्रति नमूना तत्पश्चात **खोया (दुध से निर्मित)** नमूने वास्ते लिया, जिसके पेटे 240/–रूपये नगद देकर सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म नम्बर 5–ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा **खोया (दुध से निर्मित)** में से हिला मिलाकर नमूने वास्ते खाद्य पदार्थ **खोया (दुध से निर्मित)** के नमूनें लिये, जिसको एकरूप करके चार बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा भरकर परिरक्षक बतौर , फोरमलिन की 20–20 बूँदे प्रत्येक बोतल में डालकर ऐयरटाईट ढक्कन से बंद करके प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येके नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1183** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1183** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1183 खोया (दुध से निर्मित)** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता सुनील यादव पुत्र श्री लखरीचन्द्र ,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/287/एक्ट/2021/278 दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1183 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री लखरी चन्द्र जाति यादव निवासी 152 सादु कॉलोनी , 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर, **मै0** बालाजी स्वीट्स, एण्ड नमकीन कॉर्नर, 152 सादु कॉलोनी, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **खोया (दुध से निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:–

1. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
2. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

3. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। निरीक्षण के दौरान वाहन फिलिंग टेंक विक्रय हेतु नहीं रखा हुआ था।
4. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किए गए है, स्वीकार नहीं है। गवाहन के कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाये गये है और न ही 80 किलो खाद्य पदार्थ में से 1 किलो खाद्य पदार्थ वास्ते नमूने लिया गया।
5. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गयी तो इस यचरण में अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व झूठा प्रकरण बनाने के आश्य से इस मद में मिथ्या कथन अंकित किए गए है। खोया लगभग 80 किलों मे से 1 किलो खोया के नमूने वास्ते खाद्य पदार्थ नहीं लिए गए एवं न ही 4 बोतलों में बराबर मात्रा में डाला एवं न ही इन पर कोई लेवल चिपकाया गया और न ही ही जार को अलग कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया व न ही चार जगह सील मोहर से चपट्टी किया गया तथा न ही नमूना जांच की सूचना प्रार्थी को दी गयी व नही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर कराए गए।
6. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित तथ्य की प्रार्थी को काई जानकारी नहीं है।
7. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित कथन जिस प्रकार वर्णित है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार ही नहीं की गयी और न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने गये नियमों की पालना की गयी। परिवाद पत्र की इस मद में केवल मात्र सबस्टेंडर्ड पसाया अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई मिलावट खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था।
8. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है इस मद में आवेदक को किस तारीख को प्राधिकृत किया गया था जिसका अंकन नहीं है जिससे भी स्पष्ट है कि आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत एवं सक्षम नहीं है।
9. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित तथ्य में कोई स्पष्ट विवरण नहीं होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं न ही इस चरण में प्रार्थी के विरूद्व क्या आरोप है इसका कोई विवरण अंकित है।
10. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 10 में जिस प्रकार से दर्ज की गयी है, स्वीकार नहीं है।

प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से खोया का विक्रय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी की दुकान सेतो केवल नमकीन का सेम्पल लिया था जिसका खोया से कोई सम्बद्व नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की एवं नियम 2011 की धारा 26 (11) का किसी प्रकार से उल्लधंन नही किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 51 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अतः जवाब नोटिस परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद पत्र निरस्थ फरमाया जावें अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पाता है।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Khoa** का सैम्पल **K-1183** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/287/एक्ट/2021/278 दिनांक 31.08.2021 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से खोया का विक्रय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी की दुकान सेतो केवल नमकीन का सेम्पल लिया था जिसका खोया से कोई सम्बद्व नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की एवं नियम 2011 की धारा 26 (11) का किसी प्रकार से उल्लधंन नही किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 51 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद पत्र निरस्थ फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Khoa "Code No and Sr. No. K-1183 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations. 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त सुनील यादव पुत्र श्री लखरी चन्द्र को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त सुनील यादव पुत्र श्री लखरी चन्द्र को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Khoa** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर